(सत्यप्रतिलिपि)

<u>न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0</u>

(आदेश दिनांक 04/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 250/20
थाना अर्जुनी
अपराध कमांक 336/08
धारा 420, 294, 506, 34 भादसं

प्रफुल्ल कुमार हिरवानी वल्द तिलकराम,
हिरवानी साहू, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी
ग्राम सरोना थाना नरहरपुर, तहसील व जिला
कांकेर, छ0ग0...**आवेदक/अभियुक्त**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र अर्जुनी,
जिला धमतरी छ0ग0.....................................**अनावेदक/अभियोजन**

04-11-2020 मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो—14—01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो—12—08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह अग्रिम जमानत याचिका संबंधित थाने द्वारा केसडायरी पेश करने के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री शंकर देवांगन अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री गजानंद मीनपाल, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

संबंधित थाने से प्रतिवेदन पेश कर निवेदन किया गया है थाने में कर्मचारी द्वारा लगातार संबंधित डायरी ढूंढी जा रही है, समय की आवश्यकता है।

इसी स्तर पर आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रकरण के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर बल देना व्यक्त करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा बल न दिये जाने के निवेदन के आधार पर यह जमानत याचिका गुणदोष पर विचार किये बिना ही निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधितों को भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/—
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/—01.संबंधित थाना को सूचनार्थ प्रेषित। **02.** अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/—
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी,छ0ग0